न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी सुश्री नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस.)

प्रा0 पत्र संख्या	तारीख दायर	तारीख निर्णय
6 / 03	13.06.2025	11.02.2026

बउनवान

01. रामलाल पुत्र कन्हैया मीणा, निवासी ग्राम बालेटा, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर

प्रार्थी

बनाम

01. रामकरण पुत्र ईशर जाति मीणा
02. रामनारायण पुत्र ईशर जाति मीणा
03. विशन्या पुत्र ईशर जाति मीणा
04. मंगली देवी पत्नी हरीराम जाति मीणा
05. सोनी पुत्री ईशरा जाति मीणा
06. लालाराम पुत्र रंगलाल जाति मीणा
07. विक्रम पुत्र रंगलाल जाति मीणा
08. निर्मला पुत्री रंगलाल जाति मीणा
09. भगवान सहाय पुत्र हरला जाति मीणा
10. काली पुत्री गिर्राज जाति मीणा
11. घासीराम पुत्र टुण्डा जाति मीणा
12. छुट्टन लाल पुत्र टुण्डा जाति मीणा
13. पप्पूराम पुत्र टुण्डा जाति मीणा
14. भगवानी पुत्री टुण्डा जाति मीणा
15. मोहनलाल पुत्र गिर्राज जाति मीणा
16. रामबाई पुत्री टुण्डा जाति मीणा
17. सोहनलाल पुत्र गिर्राज जाति मीणा
18. शैतान पुत्र मूल्या जाति मीणा
19. भीमा पुत्र सद्याराम जाति मीणा
20. महेन्द्र पुत्र राम सद्याराम मीणा निवासियान ग्राम बालेटा, तहसील मालाखेडा जिला अलवर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क), राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 1599 रकबा 0.56 हैक्टेयर वाके ग्राम बालेटा तहसील मालाखेडा मे प्रार्थी का नाम बतौर खातेदार के दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी की खातेदारी की उपरोक्त आराजी को संलग्न नक्शे में रंग पीले से दर्ज किया गया है। प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1599 के तरफ पश्चिम को अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1627 रकबा 1.02 हैक्टेयर, 1625 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 1596 रकबा 0.49 हैक्टेयर,

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

1597 रकबा 0.77 हैक्टेयर, 1598 रकबा 0.54 हैक्टेयर व 1596/3655 रकबा 0.03 हैक्टेयर गैर मु० चाह ग्राम बालेटा तहसील मालाखेडा में स्थित है, जिसकी बाबत कागजात माल में अप्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदार के दर्ज चला आ रहा है। अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी को संलग्न नक्शे में रंग हरे से दर्ज किया गया है। अप्रार्थीगण की खातेदारी की उपरोक्त आराजी में से खसरा नम्बर 1627 व 1625 अप्रार्थी संख्या 1 लागायत 9 की खातेदारी की आराजी है। प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1599 में आने-जाने व फसल पैदावार, कृषि यंत्र, ट्रेक्टर ट्रोली आदि लाने-ले जाने के लिए तरफ पश्चिम अप्रार्थीगण की उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर 1627, 1625, 1596, 1597, 1598 में होता हुआ कुएं की भूमि को छोडकर कदीमी रास्ता 12 फुट चौडा अर्से दराज से जारी है। उपरोक्त खसरा नम्बरान के तरफ पश्चिम खसरा नम्बर 1655 से लगती हुई ग्रेवल सडक से प्रार्थी व अप्रार्थीगण सडक सरकारी पर आते.जाते रहे हैं और प्रार्थी को उपरोक्त रास्ता जो संलग्न नक्शे में करीब 12 फुट चौडा रास्ता रंग सुर्ख से दर्ज किया गया है, का उपयोग व उपभोग प्रार्थी अर्से दराज से गत तीन पीढीयों से लगातार करता चला आ रहा है। जो रास्ता आज भी मौके पर जारी है। जिस रास्ते का उपयोग व उपभोग करने का प्रार्थी को विधिक अधिकार है एवं प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1599 स्थित ग्राम बालेटा में आने -जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। गत कुछ समय से अप्रार्थीगण जो संख्या में काफी अधिक हैं, ने प्रार्थी के खिलाफ एक नाजायज गिरोह बनाया हुआ है एवं जो प्रार्थी को उपरोक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग करने में रूकावट व मजहामत पैदा करते हैं तथा प्रार्थी को उपरोक्त रास्ता जो संलग्न नक्शे में रंग सुर्ख से दर्ज किया गया है, का उपयोग व उपभोग करने में रूकावट व मजहामत पैदा करते हैं तथा दिनांक 05.06.2025 को भी अप्रार्थीगण ने ऐलानिया तौर पर जाहिर किया है कि वो प्रार्थी को उपरोक्त रास्ता जो संलग्न नक्शे में रंग सुर्ख से दर्ज किया गया है, करीब 12 फुट का उपयोग व उपभोग नहीं करने देंगे और उक्त रास्ते का उपयोग ट्रेक्टर.ट्रोली आदि लाने.ले जाने में नहीं करने देंगे। चूंकि आजकल कार्य काश्तकारी का समय है और यदि अप्रार्थीगण ने उपरोक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग प्रार्थी को नहीं करने दिया तो प्रार्थी की फसल बर्बाद हो जावेगी और वो अपनी कृषि भूमि में कार्य कश्तकारी नहीं कर सकेगा और फसल आदि भी नहीं बो सकेगा। चूंकि उपरोक्त रास्ता जो संलग्न नक्शे में रंग सुर्ख से दर्ज किया गया है, जो अप्रार्थीगण की खातेदारी की उपरोक्त आराजी के तरफ पश्चिम खसरा नम्बर 1655 से लगती हुई ग्रेवल सड़क में मिल जाता है, की बाबत राजस्व अभिलेख में रास्ते का इन्द्राज नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण, प्रार्थी को उपरोक्त राजस्व अभिलेख में बतौर रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जावे तथा उपरोक्त भूमि के एवज में डीएलसी की दर के अनुसार जो भी राशि निर्धारित की जावे वह राशि प्रार्थी से अप्रार्थीगण को दिलाई जावे व अन्य अनुतोष सादिर फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण तलब किये गये। अप्रार्थी संख्या 2, 4, लगा0 6, 8, 14, 16, 18, 19 व 20 के विरूद्ध बावजूद सूचना के अनु0 रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। अप्रार्थीगण संख्या 1, 3, 7, 9 लगायत 13, 15, 17 को अनेक अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नही करने पर जवाब बन्द किया गया।

तहसीलदार मालाखेडा से प्रार्थना पत्र मे वर्णित विवादित आराजी की मौके की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार मालाखेडा ने अपनी मौका रिपोर्ट मे अंकित किया है कि वादपत्र/प्रार्थना पत्र मे वर्णित खसरा नम्बर 1599 प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, प्रार्थी अपने खसरा नम्बर 1599 पर पहुॅच मार्ग हेतु गै0मु0 चाह के खसरा नम्बर 1596/3655 को छोडकर 1627, 1625, 1596, 1597, 1598, मे होकर रास्ता चाहा रहा है। जो खसरा नम्बर 1627 के दक्षिण-पश्चिम कोने तक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारी के रास्ता के

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

खसरा नम्बर 1656 से मिलता है। प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 1627, 1625, 1596, 1597, 1598 मे से अपने खसरा नम्बर 1599 तक चाहे जा रहे रास्ते का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्रम संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई	प्रस्तावित रास्ते की चौडाई	प्रस्तावित रास्ते का रकबा
1	1627	1.02 हैक्टेयर	बारानी सोयम	128 मीटर	4 मीटर	0.0512 है0
2	1625	0.05 हैक्टेयर	बारानी सोयम	10 मीटर	4 मीटर	0.0040 है0
3	1596	0.49 हैक्टेयर	चाही सोयम	52 मीटर	4 मीटर	0.0208 है0
4	1597	0.77 हैक्टेयर	चाही सोयम	72 मीटर	4 मीटर	0.0288 है0
5	1598	0.54 हैक्टेयर	चाही सोयम	96 मीटर	4 मीटर	0.0384 है0

उक्त प्रस्तावित रास्ते की कुल लम्बाई 358 मीटर व चौडाई 04 मीटर है, जो वर्तमान मे खसरा नम्बर 1599 के दक्षिणी –पश्चिमी कोने तक संचालित है तथा आवागमन के लिए उपयोग मे लिया जा रहा है। खसरा नम्बर 1596/3655 किस्म गै0मु0 चाह को छोडकर चाहा जा रहे प्रस्तावित रास्ते मे वर्तमान मे कोई पक्का निर्माण, बोरिंग चाह, वृक्ष इत्यादि स्थित नही है। वर्तमान प्रस्तावित रास्ते के खसरा नम्बर रास्ते को छोडकर फसल काश्त के उपयोग को लिये जा रहे है।

तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में ग्राम बालेटा के आराजी खसरा नम्बर 1627 रकबा 1.02 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम मे से प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 128 मीटर चौडाई 4 मीटर प्रस्तावित रास्ते का रकबा 0.0512 है0, खसरा नम्बर 1625 रकबा 0.05 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम मे से प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 10 मीटर चौडाई 4 मीटर प्रस्तावित रास्ते का रकबा 0.0040 है0, खसरा नम्बर 1596 रकबा 0.49 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम मे से प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 52 मीटर चौडाई 4 मीटर प्रस्तावित रास्ते का रकबा 0.0208 है0, खसरा नम्बर 1597 रकबा 0.77 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम मे से प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 72 मीटर चौडाई 4 मीटर प्रस्तावित रास्ते का रकबा 0.0288 है0, खसरा नम्बर 1598 रकबा 0.54 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम मे से प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 96 मीटर चौडाई 4 मीटर प्रस्तावित रास्ते का रकबा 0.0384 है0 का रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया है।

उभय पक्ष की बहस सुनी। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार मालाखेडा की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) मे अन्य खातेदार को जब नवीन रास्ता की आत्यान्तिक आवश्यकता की स्थिति मे ही दिये जाने का प्रावधान है और यह जोत के केवल सुविधा जनक उपयोग के लिये नही है।

धारा–251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भूमिगत पाईप लाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विधमान मार्ग का विस्तार करना (ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतो तक पहुॅचने के लिये अन्य खातेदार की जोत मे से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है ओर मामला पारस्परिक सहमति से तय नही होता है तो ऐसा अभिधारी या यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिये संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगें और उपखण्ड अधिकारी यदि संक्षिप्त जॉच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि–

01. यह आवश्यकता आत्यान्तिक आवश्यक है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नही है और–

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

02. अन्य खातेदार की जोत मे से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है तो आदेश द्वारा (2) जहा उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित करने या चौडा करने का अधिकार मंजूर किया जावे वहा ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध मे अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जावेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखो में रास्तो के रूप में अभिलिखित की जावेगी।

03. वह व्यक्ति जिनको उपधारा (1) मे निर्दिष्ट सुविधाओ मे से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है। उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत मे होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जावे एवं कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही करेगे। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की बहस में तथा तहसीलदार मालाखेडा द्वारा प्रेषित अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी को नया पहुँच मार्ग सृजित करने की आवश्यकता बताई है। वैकल्पिक साधन का अभाव बताया है।

तहसीलदार मालाखेडा की रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित रास्ता आराजी खसरा नंबर 1627, 1625, 1596, 1597, 1598 वाके ग्राम बालेटा तहसील मालाखेडा मे से कुल लम्बाई 358 मीटर व चौडाई 04 मीटर है, जो वर्तमान मे ख़सरा नम्बर 1599 के दक्षिणी –पश्चिमी कोने तक संचालित है तथा आवागमन के लिए उपयोग मे लिया जा रहा है। खसरा नम्बर 1596/3655 किस्म गै0मु0 चाह को छोडकर चाहा जा रहे प्रस्तावित रास्ते मे वर्तमान मे कोई पक्का निर्माण, बोरिंग चाह, वृक्ष इत्यादि स्थित नही है। वर्तमान प्रस्तावित रास्ते के खसरा नम्बर रास्ते को छोडकर फसल काश्त के उपयोग को लिये जा रहे है।

राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम–1 के खण्ड ख के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी है कि कृषि भूमि दरो का दुगुना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावें। प्रदत्त की गयी भूमि राजस्व अभिलेखों मे रास्ते के रूप में अभिलिखित की जावेगी। ग्राम बालेटा तहसील मालाखेडा के आराजी खसरा संख्या–1627 रकबा 1.02 हैक्टेयर मे से लम्बाई 128 मीटर चौडाई 4 मीटर, खसरा नम्बर 1625 रकबा 0.05 हैक्टेयर मे से लम्बाई 10 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, खसरा नम्बर 1596 रकबा 0.49 हैक्टेयर मे से लम्बाई 52 मीटर चौडाई 4 मीटर, खसरा नम्बर 1597 रकबा 0.77 हैक्टेयर मे से लम्बाई 72 मीटर चौडाई 4 मीटर, खसरा नम्बर 1598 रकबा 0.54 हैक्टेयर मे से लम्बाई 96 मीटर, चौडाई 4 मीटर वाके ग्राम बालेटा तहसील मालाखेडा में से 358 मीटर लम्बाई, 4 मीटर चौडाई कुल रकबा 1432 वर्ग मीटर का रास्ता दिया जाना है। विभागीय परिपत्र दिनांक–14.06.2013 के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जावें। आराजी खसरा संख्या–1627, 1625, 1596, 1597, 1598 वाके ग्राम बालेटा तहसील मालाखेडा में घोषित मार्ग को राजस्व अभिलेखों में रास्ता दर्ज किया जावें एवं रास्ते का अलग नंबर दिया जाकर इसका क्षेत्रफल भी अंकित किया जावें।

अतः आदेश है कि वाके ग्राम बालेटा, तहसील मालाखेडा, के आराजी खसरा संख्या–1627 रकबा 1.02 हैक्टेयर मे से लम्बाई 128 मीटर चौडाई 4 मीटर, खसरा नम्बर 1625 रकबा 0.05 हैक्टेयर मे से लम्बाई 10 मीटर, चौडाई 4 मीटर, खसरा नम्बर 1596 रकबा 0.49 हैक्टेयर मे से लम्बाई 52 मीटर चौडाई 4 मीटर, खसरा नम्बर 1597 रकबा 0.77 हैक्टेयर मे से लम्बाई 72 मीटर चौडाई 4 मीटर, खसरा नम्बर 1598 रकबा 0.54 हैक्टेयर मे से लम्बाई 96 मीटर, चौडाई 4 मीटर वाके ग्राम बालेटा तहसील मालाखेडा में से 358 मीटर लम्बाई, 4 मीटर चौडाई कुल रकबा 1432 वर्ग मीटर (मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट में संलग्न नजरी नक्शा में नारंगी रंग से दर्शित) गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मालाखेडा उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत गैर मुमकिन रास्ता की प्रविष्ठियां करे एवं नक्शा ट्रेस

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)

में उक्तानुसार इंद्राज किया जावें तथा संबंधित खातेदारों को प्रतिकर राशि प्राप्त करने हेतु सूचित कर उन्हें राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हिस्सानुसार प्रतिकर राशि का भुगतान करें। पत्रावली फैसल होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

निर्णय आज दिनांक 11.02.2026 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी